कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,
ई-मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 32 /12-1 नई टिहरी, दिनांक- 02/07/ 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः- जनपद-टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार-आली-सरूणा मोटर मार्ग का चौरा, करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गर्डर सेतु, सहित निर्माण कार्य हेतु 4.41 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0-FP/UK/ROAD/38456/2019)

सन्दर्भः- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्र सं0-08बी/यू0सी0पी0/06/43/2020/एफ0सी0/1361, दिनांकः-29-09-2020 , अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलानी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांकः-1094/FP/UK/ROAD/38456/2019, दिनांकः-09-10-2020 एवं अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-।, नई टिहरी का पत्रांक-1264/पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0-।, दिनांक-20.06.2022।

महोदय,

जनपद-टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार-आली-सरूणा मोटर मार्ग का चौरा, करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य हेतु स्टील गर्डर सेतु, सहित निर्माण कार्य हेतु 4.41 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई हैः-

क्र0 सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
1	शर्त संख्या-01 के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	शर्त संख्या-02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.82 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम सरूणा खसरा सं0-783,897,881,871,2067,2156 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानी स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। (ख) प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि का हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(क) प्रत्यावर्ति भूमि के वदले 8.82 है0 भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 29,73,963.00 (उन्तीस लाख तिहत्तर हजार नौ सौ तिरसठ रुपये मात्र) जमा करा दिये है। (चालान की छाया प्रति संलग्न)**(संलग्नक-01)** (ख) शर्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी गढवाल द्वारा अपने आदेश पत्र सं0-161/XI-25(2020-21), दिनांकः-20-01-2022 से ग्राम-सरूणा, तहसील-धनसाली, पट्टी- ग्यारहगांव की सिविल भूमि 8.82 है0 खाता सं0-29 खसरा नं0-1983म0, 879, 881, 871, 2067, 2156 को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/इन्द्राजी कर दिया है। सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा भूमि को कब्जे में लेकर भूमि को कब्जे में लिए जाने का प्रमाण-पत्र, अमल दरामद मय नक्शा, खसरे का सलंग्न है। खसरा संख्या-783,897 का 1983म0, 879 में शुद्धिकरण जिलाधिकारी द्वारा अपने उक्त आदेश में किया गया है।**(संलग्नक-02)**

	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	(ग) प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–03)**
4	शर्त संख्या–4 में (क)–एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 37,26,450.00 (सैन्तीस लाख छवीस हाजर चार सौ पचास रूपये मात्र) प्रयोवत्ता अभिकरण से वसूल करेगी। (ख) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दर में अगर बढोतरी होगी है तो बढी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोवत्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	शर्त संख्या–4 में (क)–एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 37,26,450.00 (सैन्तीस लाख छवीस हाजर चार सौ पचास रूपये मात्र) जमा करा दिये गये है। (चालान की छाया प्रति संलग्न)।**(संलग्नक–01)** (ख) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दर में अगर बढोतरी होगी है तो बढी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।**(संलग्नक–04)**
5	शर्त संख्या–5 में प्रयोवत्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 669 (including 97 saplings) वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोवत्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त संख्या–5 में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
6	**शर्त सं0–06** के अनुपालन में State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त संख्या–6 में छपान आदेश इस कार्यालय के पत्रांक–1726 / 12–1, दिनांक–19.02.2021 से जारी किया गया है।(संलग्नक–05)
7	शर्त संख्या–7 में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फड में स्थानान्तरित / जमा किए जाएंगे।	शर्त संख्या–7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वार एन0पी0वी0 एवं अन्य वाछित धनराशि क ऑन लाईन चालान सत्यापन के पश्चात ई–पोर्टल https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फड में स्थानान्तरित / जमा किया गया है। (चालान की छाया प्रति संलग्न)।**(संलग्नक–01)**
8	शर्त संख्या–8 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0 2006 का पूर्णतः अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माघ्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।**(संलग्नक–6)**
9	शर्त संख्या–9 के अनुसारें प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविनियम साईनेज लगाये जाएंगे।	शर्त संख्या–9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
10	शर्त सं0–10 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या–10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11	शर्त सं0–11 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही वदला जाएगा।	शर्त सं0–11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	शर्त सं0–12 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किये जाएंगे।	शर्त सं0–12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नक–7)**

	शर्त सं0–13 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वनविकास निगम अथवा वैकल्पिक इंधन के किसी अन्य स्रोत से प्राप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक इधन दिया जाएगा।	शर्त सं0–13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	शर्त सं0–14 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार किया जाएगा।	शर्त सं0–14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	शर्त संख्या–15 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	शर्त संख्या–15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	शर्त सं0–16 के अनुपालन में इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त संख्या–16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	शर्त संख्या–17 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	शर्त संख्या–17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	शर्त संख्या–18 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी।	शर्त संख्या–18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।**(संलग्नक– 08)**
19	शर्त संख्या–19 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि उक्त शर्तो का उल्लंघन किया जायेगा तो वह वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या–11–42/2017–FC, दिनांक–29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त संख्या–19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।**(संलग्नक– 09)**
20	शर्त संख्या–20 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर जो शर्ते निर्धारित की जायेगी, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या–20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	शर्त संख्या–21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	शर्त संख्या–21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक– 10)**

	शर्त संख्या–22 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुछेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रकार प्रस्ताव लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त संख्या–22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	शर्त संख्या–23 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त संख्या–23 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी तीन प्रतियों में मय संलग्नक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : 32 /12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–I, नई टिहरी को आपके पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी